न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/54/2023	2023/506	26–07–2023	19–10–2023

01– राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र करीब 63 वर्ष जाति महाजन निवासी आरजेडएफ 905/20, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, राजनगर–2, पालम बस्ती बगडोला पश्चिम दिल्ली–110077

–अपीलान्ट

बनाम

01– तहसीलदार अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार अलवर निर्णय दिनांक 19.01.2023

उपस्थितः–

01–श्री दिनेश यादव –वकील अपीलान्ट

–निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 19.01.2023 जिसके द्वारा तहसीलदार अलवर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत इंतकाल बय बेजा तौर पर खारिज फरमाया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट द्वारा अपनी जरिये बयनामा खरीदशुदा आराजी का इंतकाल दर्ज व स्वीकार कराने हेतु तहसीलदार अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार अलवर द्वारा दिनांक 19.01.2023 को अपीलान्ट के पीछे से बाला बाला खारिज कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 20.01.2023 को हुई जबकि मिन अपीलान्ट ने तहसीलदार कार्यालय में जाकर पटवारी हल्का से संपर्क किया तो उन्होंने मिन अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने की जानकारी दी। जिसके पश्चात् मिन अपीलान्ट अपने निवास देहली चला गया था जिसके पश्चात् दिनांक 25.04.2023 को अलवर आकर अपीलान्ट ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होंने तुरन्त यह अपील पेश करने की सलाह दी। इस प्रकार मौजूदा अपील जानकारी की दिनांक 20.01.2023 से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है तथा जो देरी हुई है। निर्णय दिनांक 19.01.2023 से दिनांक 25.04.2023 तक का समय धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत माफ किया जाना न्याय संगत है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। आराजी खसरा नंबर 588 रकबा 0.5600 हैक्टेयर वाके ग्राम अलवर नंबर 2 तहसील व जिला अलवर के 1/15 हिस्सा सन्तरा पत्नी स्व0 गिर्राज प्रसाद, 1/15 हिस्सा राजेन्द्र पुत्र गिर्राज प्रसाद, 1/15 हिस्सा प्रकाश चन्द पुत्र जगन्नाथ तथा 1/05 हिस्सा व 1/10 हिस्सा अमित रावत पुत्र ओमप्रकाश की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की सालिम आराजी मिन अपीलान्ट को जरिये तहरीरी बयनामा दिनांक 18.11.2022 को तयशुदा प्रतिफल प्राप्त कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर विक्रय कर दी, जो बयनामा दिनांक 06.12.2022 को उपपजीयक अलवर द्वितीय द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 315 के पृष्ठ संख्या 1 से 10 पर चस्पा किया गया है। आराजी खसरा नंबर 588 रकबा 0.5600 हैक्टेयर वाके ग्राम अलवर नंबर 2 तहसील व जिला अलवर के 1/30 हिस्सा नाबालिग चिराग पुत्र श्री राकेश की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिसने अपनी उक्त खातेदारी की सालिम आराजी मिन अपीलान्ट को जरिये तहरीरी बयनामा दिनांक 15.12.2022 को तयशुदा प्रतिफल प्राप्त कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर विक्रय कर दी, जो बयनामा दिनांक 15.12.2022 को उपपंजीयक अलवर द्वितीय द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1260 के पृष्ठ संख्या 56 के क्रम संख्या 202203069107659 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4120 के पृष्ठ संख्या 47 से 56 पर चस्पा किया गया है। इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 588 रकबा 0.5600 हैक्टेयर वाके ग्राम अलवर नंबर 2 तहसील व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जिला अलवर के 1/30 हिस्सा दीपशिखा पुत्र श्री राकेश की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिसने अपनी उक्त खातेदारी की सालिम आराजी मिन अपीलान्ट को जरिये तहरीरी बयनामा दिनांक 15.12.2022 को तयशुदा प्रतिफल प्राप्त कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर विक्रय कर दी,जो बयनामा दिनांक 15.12.2022 को उपपंजीयक अलवर द्वितीय द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1260 के पृष्ठ संख्या 57 के कम संख्या 20220306910760 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4120 के पृष्ठ संख्या 57 से 66 पर चस्पा किया गया है। मिन अपीलान्ट के बाद खरीद उक्त आराजी रेस्पाडेन्ट तहसीलदार अलवर के समक्ष इंतकाल दर्ज व स्वीकार कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन काफी समय तक तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मिन अपीलान्ट ने पुन: अंतिम बार दिनांक 19.01.2023 को लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बताया गया कि मिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत इंतकाल दर्ज करने खारिज कर दिया है। उक्त निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आक्षेप लगाये हैं वो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड है। चूंकि मिन अपीलान्ट द्वारा कृषि भूमि कय की गई है। जिस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। जो हाल जमाबंदी में भी सभी बयनामाकर्ता की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त खरीदशुदा आराजी में जो मंदिर स्थित है वह ना तो सार्वजनिक मंदिर है और ना ही देवस्थान आदि की मिलकियत का है और ना ही देवस्थान विभाग की सूची में अंकित है। उक्त मंदिर निजी मंदिर है। जो भी अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि में स्थित नहीं है। मंदिर स्थल पजूजा पाइ के लिए बने 1/2 दीगर हिस्सेदार की भूमि में बना हुआ है। उक्त भूमि का उपयोग किसी प्रकार से गैर कृषि उपयोग व उपभोग के लिए कय नहीं की गई है। इस प्रकार जो प्रार्थना पत्र अपीलान्ट खारिज किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत खारिज किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने के कारण मिन अपीलान्ट के हक व हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में अभी तक विक्रेतागण का नाम बजौत खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिससे भविष्य में काफी मुकदमा बाजी होने का भी पूरा पूरा अंदेशा है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलान्ट द्वारा कय की गई उक्त आराजी का इंतकाल बय मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व स्वीकार कराये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे एवं तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 19.01.2023 निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेशदिनांक 19.01.2023 वाके ग्राम अलवर नं0 2 तहसील अलवर जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 23.05.2023 को पेश की गयी है, जो लगभग 4 माह पश्चात पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी जो अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है, का नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न बयनामों का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है। तहसीलदार अलवर द्वारा यह अंकित किया गया है कि उक्त विवादित आराजी में गैर कृषि कार्य किया जा रहा है। लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार के कोई प्रमाणित दस्तावेज अथवा फोटो पेश नहीं किये गये है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त विवादित आराजी पर कोई गैर कृषि कार्य किया जा रहा हो। अपील अपीलाण्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की खरीदशुदा आराजी का नामान्तरकरण बयनामों के आधार पर नियमानुसार दर्ज करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)